भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1771

दिनांक 24 जुलाई, 2014 को उत्तर देने के लिए

आधार कार्ड जारी किया जाना

1771. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डीः

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस परियोजना की शुरुआत से अब तक इस देश में जारी किए गये आधार कार्डों की जिला-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या राज्यों के सभी जिलों का कार्य पूरा नहीं नहीं हुआ है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गृह मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा संग्रह किये गए आंकड़ों की विश्वसनीयता के साथ-साथ इसकी सुरक्षा के मामले को उठाया है;

(घ) मंत्रालय इस तरह संग्रह किए गए आंकड़ों की सुरक्षा पर किस प्रकार ध्यान देगा; और

(ङ) क्या आधार और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के विलय का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)- योजना मंत्रालय,

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

तथा रक्षा राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): 14 जुलाई,2014 की स्थिति के अनुसार,यूआईडीएआई द्वारा कुल 64.05 करोड़ आधार सृजित किए जा चुके हैं। 30 जून,2014 की स्थिति के अनुसार,अलग-अलग आधार संतृप्तता स्तरों(संबंधित ज़िले की कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में) वाले ज़िलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम	आधार संतृप्तता स्तर का %	जिलों की संख्या

सं.		
1	>= 90%	63
2	<90% तथा >=80%	75
3	<80% तथा >=70%	78
4	<70% तथा >=60%	83
5	<60% तथा >=50%	65
6	<50%	271

देश के प्रत्येक ज़िले में सृजित आधारों की कुल संख्या संबंधी विस्तृत ब्यौरा http://portal.uidai.gov.in/uidwebportal/dashboard.do पर उपलब्ध है।

(ख): आधार के लिए नामांकन स्वैच्छिक प्रकृति का है और इसलिए इसकी प्रक्रिया चलती रहती है।

(ग)और(घ): गृह मंत्रालय ने यूआईडीएआई द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली को देखते हुए, यूआईडीएआई द्वारा संग्रहित डेटा की सत्यनिष्ठा तथा सुरक्षा का मामला उठाया था। ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर-मंत्रालय समन्वय की व्यवस्था बनाई गई है जिसमें यूआईडीएआई मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। साथ ही,यूआईडीएआई ने जनांकिकी डेटा मानक तथा सत्यापन प्रक्रिया(डीडीएसवीपी) समिति रिपोर्ट तथा बायोमीट्रिक मानक समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप नामांकन पद्धति तथा प्रक्रिया निश्चित की है। इसके अलावा, कई अन्य प्रक्रियाएं भी अपनाई गई हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यूआईडीएआई द्वारा संग्रहित डेटा तक किसी की अनधिकृत रूप से पहुंच न हो सके।

साथ ही, आधार परियोजना मुख्यतः एक विकासात्मक पहल है। आधार संख्या प्राप्तकर्ता को आधार से नागरिकता का अधिकार अथवा उसकी पात्रता अथवा उसका दावा हासिल नहीं होता। विभिन्न कानूनों तथा अनुप्रयोज्य अधिनियमों के अंतर्गत पात्रता का निर्धारण सांविधिक/कार्यान्वयनकर्ता प्राधिकारी का कार्य है।

(ङ) : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****